



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272659
CG-DL-E-18052026-272659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948

No. 310]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2026/VAISAKHA 21, 1948

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2026

सं. विधि 42(3)/87.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी दिनांक 21 फरवरी, 1991 की अधिसूचना सं. 145 (ई) के खंड 1 के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एतद्वारा, (क) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गये कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशाला" के रूप में और (ख) तालिका के कॉलम(3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल या अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए कॉलम (4) में उल्लिखित मापदंडों के संबंधित समूहों के अनुसार विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है तथा 7 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87, की क्रम संख्या. 200 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याओं को जोड़ा जाएगा, अर्थात :

क्र.स.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मापदंड समूह हेतु मान्यता	मान्यता की वैधता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
201.	मैसर्स गुजरात एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लैबोरेटरी, बी-64 जीआईडीसी परिसर, सेक्टर 25, गांधीनगर-382024, गुजरात।	डॉ निताशा खत्री सुश्री हर्षिदा जे मोदी	जल और अपशिष्ट जल का भौतिक परीक्षण, अकार्बनिक (सामान्य एवं गैर-धात्विक), अकार्बनिक (सूक्ष्म धातु), कार्बनिक (सामान्य) एवं सूक्ष्म कार्बनिक, सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण, आविषविज्ञानी परीक्षण, जैविक परीक्षण; परिसंकटमय अपशिष्ट; मृदा/आपक/तलछट का अभिलक्षणन; परिवेशी वायु/ आशुलोपी उत्सर्जन, चिमनी गैसों/स्रोत उत्सर्जन; रव स्तर और मौसम संबंधी निगरानी।	17/09/2028

इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशालाएँ कॉलम 5 के अनुसार वैध रहेंगी। तथापि, कॉलम (3) में इस प्रकार उल्लिखित सरकारी विश्लेषकों को एक वैधता अवधि या संगठन की सेवा से अधिवर्षिता होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा।

वीर विक्रम यादव, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./80/2026-27]

टिप्पणः

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 728 (ई) दिनांक 21.07.1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गए: (1) का.आ. 838 (ई), दिनांक 23.09.87 (2) का.आ. 989 (ई) दिनांक 17.11.87 (3) का.आ. 489 (ई) दिनांक 17.05.88 (4) का.आ. 156 (ई) दिनांक 24.02.89 (5) का.आ. 846 (ई) दिनांक 24.10.89 (6) का.आ. 375 (ई) दिनांक 26.04.1990 (7) का.आ. 803 (ई) दिनांक 23.09.92 (8) का.आ. 97 (ई) दिनांक 05.12.1994 (9) का.आ. 418 (ई) दिनांक 31.03.1996 (10) का.आ. 889 (ई) दिनांक 31.08.1996 (11) का.आ. 452 (ई) दिनांक 31.05.97 (12) का.आ. 631 (ई) दिनांक 31.05.1998 (13) का.आ. (ई) 336 दिनांक 01.01.1999 (14) का.आ. 44 (ई) दिनांक 15.01.2001, (15) का.आ. संख्या 490 (ई), दिनांक 01.06.2001 और (16) का.आ. संख्या 532 (ई), दिनांक 01.01.2002, (17) का.आ. संख्या 1168 (ई), दिनांक 01.06.2001, (18) का.आ. संख्या 888 (ई), दिनांक 01.06.2003, (19) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.06.2004, (20) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.03.2005, (21) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2005, (22) विधि/42(3)/87 दिनांक 15.12.2005, (23) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.05.2006, (24) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2006, (25) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.01.2007, (26) विधि/42(3)/87 दिनांक 15.04.2007, (27) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.08.2007, (28) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.10.2007, (29) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.02.2008, (30) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.04.2008, (31) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.10.2009, (32) विधि/42(3)/87 दिनांक 15.01.2010, (33) विधि/42(3)/87 दिनांक 20.09.2010, (34) विधि/42(3)/87 दिनांक 27.01.2011, (35) विधि/42(3)/87 दिनांक 31.01.2012, (36) विधि/42(3)/87 दिनांक 14.08.2014, (37) विधि/42(3)/87 दिनांक 10.03.2015, (38) विधि/42(3)/87 दिनांक 11.12.2015, (39) विधि/42(3)/87 दिनांक 07.03.2016, (40) विधि/42(3)/87 दिनांक 03.08.2016, (41) विधि/42(3)/87 दिनांक 06.03.2017, (42) विधि/42(3)/87 दिनांक 19.06.2017, (43) विधि/42(3)/87 दिनांक 03.10.2018, (44) विधि/42(3)/87 दिनांक 17.01.2019, (45) विधि/42(3)/87 दिनांक 20.07.2020, (46) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.10.2020, (47) विधि/42(3)/87 दिनांक 17.05.2021, (48) विधि/42(3)/87 दिनांक 28.03.2022 तथा (49) विधि/42(3)/87 दिनांक 22.07.2022, (50) विधि/42(3)/87 दिनांक 21.05.2025 तथा (51) विधि/42(3)/87 दिनांक 07.10.2025.

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2026

No. Legal 42(3)/87.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and 13 read with clause 1 of the Notification No. 145(E), dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi- 110032 hereby recognize, (a) the Laboratories specified in column (2) of the table below as 'Environmental Laboratory' to carry out the functions entrusted to the Environmental Laboratories under the said Act, and the rules made there under and (b) specified persons in column (3) of the table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of Air, Water, Soil or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4). After Sr. No. 200 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 7 October 2025, and the entries relating thereto, the following serial no. and entries shall be added, namely:

Sl. No.	Name of Laboratory	Name of the Govt. Analysts	Recognized for Parameters Groups	Validity of Recognition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
201.	M/s Gujarat Environment Management Institute's Laboratory, B-64 GIDC Campus, Sector 25, Gandhinagar- 382024, Gujarat.	1. Dr Nitasha Khatri 2. Ms. Harshida J Modi	Physical Tests, Inorganic (General and Non-metallic), Inorganic (Trace Metals), Organics (General) and Trace Organics, Microbiological Tests, Toxicological Tests and Biological Tests of Water and Wastewater, Characterization of Hazardous Waste, Soil/Sludge/ Sediment and Solid Waste, Ambient Air/ Fugitive Emissions, Stack Gases/ Source Emission, Noise level and Meteorological Monitoring	17/09/2028

The Environmental Laboratories so mentioned shall remain valid as per column 5. However, Government Analysts so mentioned at column (3) shall be appointed for a validity period or up to the superannuation from the service of the Organization, whichever is earlier.

VIR VIKRAM YADAV, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./80/2026-27]

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.O. 728(E), dated 21.7.1987 and subsequently amended vide- (1) Nos. S.O. 838 (E), dated 23.9.87, (2) S.O. 989 (E) , dated 17.11.87, (3) S.O. 489 (E) , dated 17.5.88, (4) S.O. 156 (E) , dated 24.2.89, (5) S.O. 846 (E), dated 24.10.89, (6) S.O. 375 (E), dated 26.4.1990, (7) S.O. 803 (E), dated 23.9.92, (8) S.O. 97 (E), dated 5.12.1994, (9) S.O. 418 (E), dated 31.3.1996, (10) S.O. 889 (E), dated 31.8.1996, (11) S.O. 452 (E), dated 31.5.97, (12) S.O. 631 (E), dated 31.5.1998, (13) S.O. 336 (E), dated 1.1.1999, (14) S.O. 44 (E), dated 15.1.2001, (15) S.O. 490 (E), dated 1.6.2001, (16) S.O. 532 (E), dated 1.1.2002, (17) S.O. 1168 (E), dated 1.6.2001, (18) S.O. 888 (E), dated 1.6.2003, (19) Legal/42(3)/87, dated 1.6.2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1.3.2005, (21) Legal/42(3)/87, dated 1.9.2005, (22) Legal/42(3)/87, dated 15.12.2005, (23) Legal/42(3)/87 dated 1.5.2006, (24) Legal/42(3)/87, dated 1.9.2006, (25) Legal/42(3)/87, dated 1.1.2007, (26) Legal/42(3)/87, dated 15.4.2007, (27) Legal/42(3)/87, dated 1.8.2007, (28) Legal/42(3)/87, dated 1.10.2007, (29) Legal/42(3)/87 dated 1.2.2008, (30) Legal/42(3)/87, dated 1.4.2008, (31) Legal/42(3)/87, dated 1.10.2009, (32) Legal/42(3)/87, dated 15.1.2010, (33) Legal/42(3)/87, dated 20.9.2010, (34) Legal/42(3)/87, dated 27.1.2011, (35) Legal/42(3)/87, dated 31.1.2012, (36) Legal/42(3)/87 14.8.2014, (37) Legal/42(3)/87 10.03.2015, (38) Legal/42(3)/87 11.12.2015, (39) Legal/42(3)/87 07.03.2016, (40) Legal/42(3)/87 03.08.2016, (41) Legal/42(3)/87 06.03.2017, (42) Legal/42(3)/87 dated 19.06.2017, (43) Legal/42(3)/87 dated 03.10.2018, (44) Legal/42(3)/87 dated 17.01.2019 (45) Legal/42(3)/87 dated 20.07.2020, (46) Legal/42(3)/87 dated 01.10.2020, (47) Legal/42(3)/87, dated 17.05.2021, (48) No. Legal 42(3)/87 dated 28.03.2022 (49) No. Legal 42(3)/87 Dated 22.07.2022, (50) No. Legal 42(3)/87 Dated 21.05.2025 and (51) No. Legal 42(3)/87 Dated 07.10.2025.